The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

आसू खान

पंकर्ज शर्मा न्यायिक मंजिल्लेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f)clause(g)or subsection(i)of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

(नि र्ण य)

| -      | (आज दिनांक को घोषित)  |
|--------|---|
|        |   |
| 1.     | आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 3 प ह्याच्या के                            |
| अपराध  | के आरोप हैं।  |
| 2.     | आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए हैं।      |
| 3.     | आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आघार पर आरोपी/गण को             |
| घारा   | उप उनाम हो हो । के अपराध में सिद्धदोष                               |
| उहराया | जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण |
| को     | अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा        |
| में 10 | दिवस का साधारण कारावास पृथक से सुगतना होगा।                         |
| 4.     | प्रकरण में जब्तशुदा 18 रिका ३२ विका अस्ति                           |
|        |   |
|        |   |

निर्णय खुले न्यायालय में हरता० व दिनांकित कर घोषित किया गया।

न्यायिक मेजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक मेजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्या मिहिद जिला भिण्ड गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.) गेरे निर्देश पर टाईप किया।

न्यायिक गुजिस्ट्रेट प्रथम श्रेषी श्रेण न्यायिक गुजिस्ट्रेट प्रथम श्रेषी श्रेण न्यायिक जिला भण्ड गोहद, जिला भण्ड (म.प्र.)